राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ

खंडपीठ विशेष अपील (सिविल) संख्या 11/2022

1. श्रीमती शैल भार्गव, स्वर्गीय अमरनाथ भार्गव की विधवा, निवासी 1/10, सरदार पटेल मार्ग अजमेर।
2. पुनीत भार्गव (अपनी प्राकृतिक संरक्षक माँ श्रीमती शैल भार्गव के माध्यम से अस्वस्थ दिमाग), स्वर्गीय अमरनाथ भार्गव के पुत्र, निवासी 1/10, सरदार पटेल मार्ग, अजमेर।
3. प्रमित भार्गव पुत्र स्वर्गीय अमरनाथ भार्गव, निवासी 1/10, सरदार पटेल मार्ग, अजमेर।
4. श्रीमती प्रीति मलिक पत्नी श्री नरेंद्र मलिक, पुत्री स्वर्गीय श्री अमरनाथ भार्गव, निवासी 1/10, सरदार पटेल मार्ग, अजमेर।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती शांति देवी (मृत्यु के बाद से), अपने विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से-
2. सावित्री देवी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी पत्नी स्वर्गीय श्री अमरचंद, निवासी केसरगंज, रावण की बगीची, अजमेर।
3. सुशीला देवी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी पत्नी हरि मोहन शर्मा, निवासी गुलाबवाड़ी, अजमेर।
4. मधु देवी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी पत्नी स्वर्गीय शंकर देव, निवासी गुलाबवाड़ी, अजमेर।
5. मंजू बाला पुत्री स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी पत्नी रवि गोस्वामी, निवासी बिहारीगंज, अजमेर।
6. हरि शंकर शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्रीमती के शांति देवी, निवासी मकान नंबर 161/13, गुलाब बाड़ी, अजमेर।
7. दया शंकर शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी, निवासी मकान नंबर 161/13, गुलाब बाड़ी, अजमेर।

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी (गण) की ओर से : श्री तुषार मलिक की ओर से श्री पुरु मलिक

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति पंकज मिथल

माननीय न्यायामूर्ति शुभा मेहता

निर्णय

रिपोर्टेबल

09/01/2023

1. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. अपील दायर करने में 23 दिनों की देरी को पर्याप्त रूप से समझाया गया है। तदनुसार, प्रत्यर्थीगण की उपस्थिति पर यदि कोई आपत्ति हो तो इसे माफ किया जाता है।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने मामले पर गुणागुण के आधार पर भी बहस की।

4. अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए अपीलार्थीगण के मुकदमे का निर्णय प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा किया गया था, जिसके बाद निर्णय-देनदार ने उच्च न्यायालय में प्रथम अपील की। अपील में सशर्त स्थगन आदेश पारित किया गया था और चूंकि निर्णय-देनदार शर्तों को पूरा नहीं कर सका, उसने मध्यवर्ती लाभ को जमा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन दिया, जिसे लागू आक्षेपित आदेश दिनांक 24.05.2022 द्वारा अनुमति दी गई है।

5. अपीलार्थीगण ने उपरोक्त आदेश को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की है।

6. कार्यालय ने बताया है कि अपील संधारणीय नहीं है।

7. अपील राजस्थान उच्च न्यायालय नियम, 1952 (संक्षेप में '1952 के नियम') के नियम 134 के तहत की गई है। उपरोक्त नियम इस प्रकार हैं:-

> "134. (i) न्यायालय के न्यायमूर्ति के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील:- निर्णय या अंतिम आदेश (किसी डिक्री के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित निर्णय नहीं) के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिया गया आदेश और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में दिया गया आदेश नहीं है और अधीक्षण

की शक्ति के प्रयोग में पारित या दिया गया वाक्य या आदेश नहीं है या उच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति के आपराधिक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में)।

(ii) विशेष अपील-एकलपीठ के निर्णय के खिलाफ विशेष अपील करने का इच्छुक व्यक्ति ऐसे निर्णय की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का विधिवत मुद्रांकित ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। जहां इस तरह की अपील ऊपर उल्लिखित अवधि के बाद प्रस्तुत की जाती है, तो इसके साथ देरी का कारण बताते हुए एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित एक आवेदन संलग्न किया जाएगा और इसे तब तक खारिज कर दिया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर देता कि उसके पास अपील को प्राथमिकता न देने के लिए पर्याप्त कारण है। उपरोक्त समय।

अपील का ज्ञापन इस अध्याय के नियम 125, 130 और 131 के अनुसार तैयार किया जाएगा और निर्णय या आदेश की दो अतिरिक्त टाइप की गई प्रतियों के साथ अपील किए गए निर्णय या आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न की जाएगी।

8. उपरोक्त नियम को पढ़ने से पता चलता है कि यह उच्च न्यायालय की एकलपीठ के निर्णय या अंतिम आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करता है, लेकिन कुछ अपवादों के साथ;

"i) जहां उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किए गए डिक्री या आदेश के संबंध में निर्णय पारित किया जाता है;

ii) जहां आदेश पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किया गया है; और

iii) जहां सजा या पारित आदेश अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग या आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है।

9. याचिकाकर्तागण-अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की दलील यह है कि एक अपील अपवादित खंड (i) के अंतर्गत नहीं आती है, जब तक कि यह उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किए गए डिक्री या आदेश के संबंध में पारित निर्णय के खिलाफ निर्देशित नहीं है।

10. उन्होंने **(2001) 6 एससीसी 158-चंद्र कांता शर्मा बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य** में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर अवलंब किया है। जिसमें पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट का एक समान खंड 10 जो कि 1952 के नियमों के नियम 134 के बराबर है, विचार के लिए आया। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किए गए डिक्री या आदेश के संबंध में" शब्द महत्वपूर्ण हैं और यदि उन शब्दों को पहले भाग के साथ पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलीय

उसमें उल्लिखित क्षेत्राधिकार धारा 100 सीपीसी के तहत या उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अधीन एक न्यायालय द्वारा अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किए गए डिक्री या आदेश के संबंध में किसी विशेष अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत दूसरी अपील को संदर्भित करता है।

11. आक्षेपित आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रथम अपील में पारित एक आदेश है और यह एक आदेश है जिसमें न्यायालय द्वारा अधीक्षण के अधीन पारित डिक्री या आदेश के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अभ्यास में पारित निर्णय का प्रभाव है। उच्च न्यायालय के। इसलिए, आक्षेपित आदेश अपवादित मामले की पहली श्रेणी में आता है और 1952 के नियमों के नियम 134 के तहत विशेष अपील के लिए उत्तरदायी नहीं है।

12. उपरोक्त के अलावा, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100क यह तय करने के लिए बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है कि क्या ऐसे आदेश के खिलाफ एकलपीठ के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में आगे अपील की जाएगी। धारा 100क को यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> "100 क. कुछ मामलों में कोई और अपील नहीं- किसी भी उच्च न्यायालय के लिए किसी भी पत्र पेटेंट में या कानून के बल वाले किसी भी उपकरण में या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, जहां मूल से कोई अपील हो या अपीलीय डिक्री या आदेश उच्च न्यायालय के एकलपीठ द्वारा सुना और तय किया जाता है, ऐसे एकलपीठ के निर्णय और डिक्री के खिलाफ कोई और अपील नहीं की जाएगी।

13. पूर्वोक्त प्रावधान का एक स्पष्ट अध्ययन जो एक *गैर-अप्रत्याशित* खंड से शुरू होता है, उससे पता चलता है कि इसका लेटर्स पेटेंट या कानून के बल वाले किसी अन्य उपकरण अर्थात नियमों के प्रावधानों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यह प्रदान करता है कि किसी भी उच्च न्यायालय के लिए लेटर्स पेटेंट में या कानून के बल वाले किसी भी उपकरण में या किसी अन्य कानून में कुछ समय के लिए लागू होने के बावजूद, पारित होने पर एकलपीठ के निर्णय और डिक्री के खिलाफ कोई और अपील नहीं की जाएगी। किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश की अपील पर। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान करता है कि जहां मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश की अपील उच्च न्यायालय के एकलपीठ द्वारा सुनी और तय की जाती है और उस पर एक आदेश पारित किया जाता है, तो कोई भी आगे की अपील उच्च न्यायालय में नहीं की जाएगी।

14. सी.पी.सी. की धारा 100क के उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के मद्देनजर, यह

अंतर्निहित है कि जब किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से अपील में पारित एकलपीठ के अंतिम निर्णय और डिक्री के खिलाफ कोई इंट्रा-कोर्ट अपील प्रदान नहीं की जाती है, ऐसी अपील में पारित किसी भी अंतरिम आदेश या अंतिम प्रकृति के आदेश से कोई इंट्रा-कोर्ट अपील भी नहीं होगी।

15. **जीतेन्द्र नारायण अग्रवाल बनाम राजीव कुमार अग्रवाल एवं एएनआर.- एआईआर 2007 (एनओसी) 21 (पटना)** ने लेटर्स पेटेंट ऑफ पटना के क्लॉज 10 के मामले में पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के तहत एक लेटर्स पेटेंट अपील की स्थिरता के समान मामले पर विचार करते हुए माना कि एक इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन पर पारित आदेश के खिलाफ एलपीए धारा 100क सीपीसी के तहत लंबित अपील पर विचार नहीं किया जा सकता। उपरोक्त निर्णय स्पष्ट रूप से बताता है कि उच्च न्यायालय के एकलपीठ द्वारा प्रथम अपील में लंबित आवेदन पर पारित आदेश, पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत खंडपीठ के समक्ष अपील योग्य नहीं है, जो कि सममूल्य पर है। 1952 की नियमावली का नियम 134(1).

16. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि खंडपीठ में लंबित प्रथम अपील में विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित अंतर्वर्ती आदेश या अंतिम प्रकृति के आदेश के खिलाफ कोई भी इंट्रा-कोर्ट अपील सुनवाई योग्य नहीं है। 1952 के नियमों के नियम 134 के संदर्भ में वही धारा 100क सीपीसी द्वारा वर्जित है।

17. तदनुसार, अपील सुनवाई योग्य नहीं है और खारिज की जाती है।

(शुभा मेहता), न्यायमूर्ति **(पंकज मिथल), मुख्य न्यायमूर्ति**

NAVAL KISHOR/LAKSHYA SHARMA/22

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।